संख्या-14/2022/499/86-2022-41(सा0)/2019

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0, लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 31 मई, 2022

विषयः-ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वारा स्वीकृत नदी तल के उपखनिज बालू/मोरम आदि के खनन पट्टों में आनलाईन अग्रिम मासिक किश्त के स्थान पर pay as you go व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-172/एम-228/2017 खनन नीति (VII), दिनांक 28.04.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-21 में पट्टे पर दिये गये क्षेत्र से निकाले गये उपखनिज पर रायल्टी के भुगतान का प्राविधान है, परन्तु नियम-27(3) एवं तत्क्रम में पंचम अनुसूची में प्रत्येक माह के आरम्भ में पट्टे का मासिक किश्त अग्रिम रूप से जमा कराये जाने के प्राविधान हैं। पट्टे की एक मुश्त मासिक किश्त प्रत्येक माह अग्रिम रूप से जमा कराने में खनन पट्टाधारकों को व्यावहारिक कठिनाई हो रही है। इसके कारण अधिकांश खनन पट्टे किश्त जमा न करने के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं और उपखनिजों की उपलब्धता प्रभावित होने के साथ ही शासन को प्राप्त होने वाला राजस्व भी प्रभावित होता है। अतः ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल के स्वीकृत उपखनिज बालू/मौरम आदि के खनन पट्टाधारकों द्वारा आनलाईन अग्रिम भुगतान के स्थान पर pay as you go व्यवस्था लागू किये जाने का प्रस्ताव शासन के निर्णयार्थ उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खनिज विकास, राजस्व हित तथा पट्टेधारकों के लिये किश्त भुगतान की व्यवस्था सुविधाजनक किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत शासन द्वारा उपरोक्त नियमावली के नियम-69 में प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पट्टाधारक को यह सुविधा प्रदान कर दी जाय कि वह स्वयं द्वारा देय पट्टे की एकमुश्त मासिक किश्त का जितना अंश अग्रिम रूप से जमा करेंगे, उसके समतुल्य उपखनिज की मात्रा का परिवहन प्रपत्र जनित कर सकेंगे तथा प्रत्येक माह की देय किश्त की अवशेष धनराशि उसी माह के अन्तिम दिवस तक उन्हें जमा कर देना होगा। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रिम एकमुश्त मासिक किश्त भुगतान की व्यवस्था के स्थान पर pay as you go के आधार पर भुगतान लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,
(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in